संख्या-1180/2025/2090/22-2-2024-17(1212)/2022

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामजी सिंह पुत्र श्री लालाराम सिंह, निवासी जनपद-जालौन की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-36860/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 19.11.2024, दिनांक 05.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामजी सिंह पुत्र श्री लालाराम सिंह, ग्राम पिथउपुर, थाना-चुर्खी जनपद-जालौन का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 17.06.1982 को 05 सहअभियुक्तों के साथ लाठी, कुल्हाड़ी, काता व बन्दूक से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-109/1982 में भा०द०वि० की धारा-147, 148,302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 09.12.1983 द्वारा दोषमुक्त किया गया| मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दण्डादेश दिनांक-30.04.2014 द्वारा धारा-147, 148, 302/149 आई०पी०सी० में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-11.12.2019 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 09.09.2024 तक अपरिहार 11 वर्ष, 02 माह, 12 दिन तथा 13 वर्ष, 07 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 09.09.2024 तक 71 वर्ष 07 माह 26 दिन है।

3- सिद्धदोष बन्दी रामजी सिंह पुत्र श्री लालाराम की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 71 वर्ष 07 माह 26 दिन की आयु, बंदी की स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने, बंदी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 09.09.2024 तक अपरिहार 11 वर्ष, 02 माह, 12 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष, 07 माह, 06 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामजी सिंह (बन्दी संख्या-27548) पुत्र श्री लालाराम, निवासी जनपद-जालौन की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या- 1180/2025/2090(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।